# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1/12102/पु.अ.ग्रेड–III/सी.भ./2016 दिनांक 27.11.2017 के अनुसरण में राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा तृतीय वेतन श्रृंखला पुस्तकाल्याध्यक्ष पद हेतु भर्ती परीक्षा 2016 हेतु राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसार लेवल 10 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में निम्नाकिंत आशार्थियों को तृतीय वेतन श्रंखला पुस्तकाल्यध्यक्ष पद पर **दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 23700/– रूपये प्रतिमाह/विद्यमान वेतनमान पर** नियुक्ति की जाकर उनके नाम के समुख अकिंत विद्यालय में स्पष्ट रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हें परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणावधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः–एफ 12(6) एफडी (नियम)/5 दिनांक 13.03.2006 के प्रावधानुसार विद्यमान वेतन/नियत पारिश्रमिक देय होगा। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.3(1)कार्मिक/ क–2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

**चयनित अभ्यर्थियों की प्रसारित विज्ञप्ति के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित एस. बी. सिविल याचिका संख्या–8555/2017, 11523/2017,10421/2017 एवं विभिन्न याचिकाओं के अतिंम निर्णय के अध्याधीन रहेगी।**

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण कराने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेगें।

**1.** नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने से पूर्व नियमानुसार संबधित अभ्यर्थी का सबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल में ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेगें। इसके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नही करवाया जावें। जो अभ्यर्थी पूर्व में ही राज्य सेवा में सेवारत है, उनके लिए यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

**2.** नियुक्ति पर कार्यग्रहण कराने से पूर्व नियमानुसार राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए–2/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या 02 से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में 10 रूपये के नोनज्युडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।

**3.** राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैद्यता संबंधी जांच विभाग स्तर पर करवायी जानी शेष है। अतः जिन अभ्यर्थियों के द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गयी है, उन्हें कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 10 रूपये के नोनज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र कार्यग्रहण से पूर्व में प्राप्त करेगें कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गयी शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य नहीं पाई गयी तो इन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति मे यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

**4.** इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक, आयु, जाति, आरक्षण संबंधी एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण प्रति से मिलानकर उनकी एक–एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखेगें, कोई भिन्नता/संदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को तत्काल सूचित करते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करावें।

**5.** अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ है तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने वाले अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे।

**6.** कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही है। इनके त्रुटिपूर्ण, ज़ाली अथवा कूटरचित पाए जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा।

03/12/17

7. संस्था प्रधान कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3)कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धुम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (UNDERTAKING) निर्धारित प्रपत्र में तैयार करेगें।

8. विवाहित अभ्यर्थी के मामले में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्संबंधी आशय का 10 रूपये के नोनज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करेगें।

9. संबंधित संस्था प्रधान अभ्यर्थी से नवीनतम फोटो प्राप्त कर नियुक्ति पत्र पर चिपकाकर प्रमाणित करेगें।

| क्र सं | मेरिट नं0 | रोल न. | नाम अभ्यर्थी, पिता का नाम एवं स्थाई पता | जन्म तिथि | वर्ग | चयन वर्ग | पदस्थापन स्थान | ब्लॉक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 20 | 110739 | जितेन्द्र शर्मा, पुत्र श्री ओम प्रकाश शर्मा, सी 89/5/36 सीएडी क्वाटर्स जयनारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर | 01.11.87 | GEN | GENM | **राआउमावि झझू कोलायत, बीकानेर** | कोलायत |
| 02 | 79 | 102426 | सुरेन्द्र कुमार सुथार, पुत्र श्री मगनलाल सुथार, घण्टेल हाउस के पास, रामदेवजी, मन्दिर के पास पुरानी गिन्नाणी, बीकानेर | 19.05.78 | OBC | GENM | **राआउमावि हंदा, कोलायत, बीकानेर** | कोलायत |

इन्हें उक्त नियुक्ति दिए गए पदस्थापित स्थान पर **दिनांक 23.12.2017** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज सूचनाएं सही नही पाए जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।

संस्था प्रधान अभ्यर्थी के कार्यग्रहण की सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करते हुए शाला दर्पण पर अपडेट करेगें।

03/12/17

**जिला शिक्षा अधिकारी**
**माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर**

क्रमांक जिशिअ/मा/बीका/संस्था–2/पु.अ.ग्रेड–III भर्ती 2016/2017/4968–4976 दिनांकः– 03.12.2017

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान् विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान् शासन उपसचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. श्रीमान् शासन उपसचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. श्रीमान् सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
7. श्रीमान् उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर मण्डल, बीकानेर।
8. संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित अभ्यर्थी।
9. रक्षित पत्रावली।

03/12/17

**जिला शिक्षा अधिकारी**
**माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर**